कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 281/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 06.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-कंधरापुर:-युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.05.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त नवीन कुमार शर्मा पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम उदयगिड़ि थाना खैर जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता शाहिबाबाद मोहल्ला भटोनिया मंगलवाली गली थाना रिंग रोड जनपद गाजियाबाद द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 150/2025 धारा 137(2)/87/351(2)BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 06.08.2025 को उ0नि0 लाल सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नवीन कुमार शर्मा पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम उदयगिड़ि थाना खैर जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता शाहिबाबाद मोहल्ला भटोनिया मंगलवाली गली थाना रिंग रोड जनपद गाजियाबाद को सेहदा अन्डर पास से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0स0 150/2025 धारा 137(2)/87/351(2)BNS थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

01. नवीन कुमार शर्मा पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम उदयगिड़ि थाना खैर जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता शाहिबाबाद मोहल्ला भटोनिया मंगलवाली गली थाना रिंग रोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 लाल सिंह थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

02. का0 अखिलेश कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

02. थाना-बरदह:-दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास:-

दिनांक 05.08.25 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी द्वारा वर्ष 2012 में अपनी पुत्री का विवाह संदीप पुत्र हीरालाल ग्राम तेरहुतीपुर थाना बरदह आजमगढ़ के साथ किया गया। जिसको पीडिता के ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मारा-पीटा जाता था। पीडिता की शादी को 12 साल हो गये हैं तथा इसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन पीडिता के ससुरालजनों पति संदीप पुत्र हीरालाल, सास चन्द्रकला, ससुर हीरालाल पुत्र पलकधारी व ससुर के पिता पलकधारी द्वारा अभी भी हर समय प्रताडित करते थे। अतः प्रताडना से ऊब कर वादिनी की पुत्री द्वारा दिनांक 25.7.2025 की रात्रि में फाँसी लगा ली। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 234/25 धारा 108/85 BNS व 3/4 DP Act बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 06.08.2025 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र हीरालाल ग्राम तिरहुतीपुर थाना बरदह आजमगढ़ को तिरहुतीपुर तिराहे से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. संदीप पुत्र हीरालाल ग्राम तेरहुतीपुर थाना बरदह जनपद-आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 234/25 धारा 108/85 BNS व 3/4 DP Act थाना बरदह जनपद-आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह आजमगढ़
2. का0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय थाना बरदह आजमगढ़
3. का0 सन्दीप कुमार थाना बरदह आजमगढ़

***03.थाना-जीयनपुर:-साइबर फ्राड के कुल 7,000 रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया।**

पूर्व की घटना/इतिहास:-

आवेदक अमरनाथ सिंह पुत्र स्व0 राजकरन सिंह निवासी अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ के मो0नं0 75xxxxxxxx पर साईबर फ्राडर द्वारा अपने मो0नं0 99xxxxxxxx से काल करके स्वयं को वादी का भतीजा बताते हुए अपने खाते में 18,000 रूपये मंगा लिया गया। जब आवेदक को पता चला की उसकी साथ साइबर फ्राड़ हुआ है तत्तपश्चात आवेदक अमरनाथ सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह द्वारा साईबर हेल्पलाईन नं0 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराया गया शिकायत की जाँच क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे साइबर फ्राड सम्बन्धित प्रकरण में साइबर फ्राड हुये पैसे को आवेदक को वापस दिलाने के क्रम में क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक अमरनाथ सिंह पुत्र स्व0 राजकरन सिंह निवासी अमुवारी नरायनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ का फ्राड हुए 18000/- रूपया में आज दिनांक 06.08.2025 को 7000/- रूपया आवेदक के खाते मे बरामद कराया गया।

4.थाना-पवईः-गोकशी करने वाले 02 अभियुक्त 02 अदद लकड़ी का ठीहा, दो अदद चापड़ (लोहे का) व एक अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.08.25 को वादी इदरीश पुत्र हनीफ साकिन सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ चौकीदार सम्बन्धित ग्राम सुलेमापुर चकिया व मीरपुर द्वारा तहरीर दिया गया कि ग्राम चकिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ एवं थाना जैतपुर जिला अम्बेडकरनगर के बार्डर पर शेहरी पुलिया के नीचे मझूई नदी में दो प्रतिबन्धित पशु के कुछ अवशेष फेका हुआ है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 223/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1.जलालुद्दीन उर्फ लंगड़ पुत्र अख्तर, निवासी ग्राम सोहगपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2. अफसर अली उर्फ बबलू उर्फ राज पुत्र मजहर अली उर्फ अजहर अली निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर 3.सहाबुद्दीन पुत्र गुलाम नबी निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर का नाम प्रकाश में आया।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 06.08.25 को उ0नि0 श्रीकेश यादव मय हमराह तथा उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. अफसर अली उर्फ बबलू उर्फ राज पुत्र मजहर अली उर्फ अजहर अली निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर 2.सहाबुद्दीन पुत्र गुलाम नबी निवासी ग्राम सोहगूपुर घोसियाना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर को गोरखपुर लिंक एक्सप्रे-वे चकिया अण्डरपास के पास से समय करीब 00.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दो प्लास्टिक के झोले में दो अदद लकड़ी का ठीहा, दो अदद चापड़ (लोहे का) व एक अदद मोटर साइकिल हीरो सुपर स्प्लेन्डर बिना नम्बर प्लेट, चेचिस नम्बर MBLJA05EMF9J26469 बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मै और मेरे साथ मेरे गांव के जलालुद्दीन उर्फ लन्गड पुत्र अख्तर अली तथा शहाबुद्दीन पुत्र गुलाम अली मिलकर चोरी छिपे आवारा घूमने वाली पशुओं को सूनसान स्थान देखकर काट देते है काटे गये पशुओं के चमड़े को लेकर हम लोग चले जाते हैं व अन्य अवशेष को किसी बोरे या बोरी में भर कर आसपास कही फेंक देते हैं। दिनांक 03/04.08.25 की रात्रि में समय करीब 04.00 से 05.00 बजे के बीच में भोर में हम तीनों लोग मिलकर दो प्रतिबंधित पशु को काट करके अवशेष को दो बोरे में भरकर जनपद अम्बेडकरनगर और आजमगढ़ के बार्डर पर स्थित ग्राम सेहरी में मझुई नदी के पुलिया के नीचे फेंक दिये और भाग गये।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0स0 223/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

अफसर अली उर्फ बबलू उर्फ राज पुत्र मजहर अली उर्फ अजहर अली निवासी सोहगपुर घोसियानां थाना अम्बेडकरनगर

1.मु0अ0सं0 102/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर

2. मु0अ0स0 223/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई आजमगढ

शहाबुद्दीन पुत्र गुलाम अली निवासी सोहगूपुर घोसियानां थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर

1. मु0अ0स0 223/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद-आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

01. उ0नि0 श्रीकेश यादव, थाना पवई जनपद-आजमगढ।
02. उ0नि0 श्री सुर्लभ पाण्डेय, थाना पवई जनपद-आजमगढ।
03. उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना पवई जनपद-आजमगढ।
04. हे0का0 मंजीत ठाकुर, थाना पवई जनपद-आजमगढ।
05. का0 सुरेन्द्र यादव, थाना पवई जनपद-आजमगढ।
06. का0 बृजेश कुमार थाना पवई जनपद-आजमगढ।
07. का0 बसन्त कुमार, थाना पवई जनपद-आजमगढ।
08. का0 लोकेश प्रताप सिंह, थाना पवई जनपद-आजमगढ।
09. का0 विकास यादव, थाना पवई जनपद-आजमगढ।

05.थाना-जीयनपुरः- कुल 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 06/08/2025 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सगडी महोदय के कुशल मे उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह द्वारा मा0 न्यायालय से निर्गत वारण्टियों की गिरफ्तारी के आदेश के क्रम में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का विवरणः-

1.रामजीत पुत्र रामेश्वर सा0 कैथौली थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष
2.हरदेव पुत्र शम्भू सा0 कैथौली थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष
3.सूर्यनाथ पुत्र हरिलाल सा0 कैथौली थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
4.चन्द्रभान पुत्र मुन्नर सा0 कैथौली थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 56 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 पवन यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2.का0 धीरज यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

06.थाना-फूलपुरः-गरम तेल डालकर गंभीर चोट पहुँचाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 05.08.2025 आवेदक रजनीश कुमार यादव पुत्र विक्रमाजीत यादव ग्राम हाजीपुर थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 02.08.2025 समय 09.00 बजे आवेदक को शेषनरायन यादव उर्फ मन्ना यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी कासिमपुर अम्बारी के द्वारा आवेदक के मोबाईल पर फोन करके अम्बारी चौक मिष्ठान की दुकान पर बुलाया गया तथा शेषनरायन यादव उर्फ मन्ना यादव उपरोक्त के दुकान पर काम कर रहे विरजूलाल निवासी आँधीपुर मैरवा के द्वारा कढाई में से गरम तेल निकालकर प्रार्थी के ऊपर फेक दिया गया जिससे वादी के पीठ के बाये हिस्से व कन्धे व बाये साईट चेहरा तथा शरीर का अन्य हिस्सा जल गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 383/2025 धारा 61(1)/124(1) BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 06.08.2025 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामबच्चन उर्फ बिरजूलाल पुत्र स्व बुधई आँधीपुर मैरवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को **अम्बारी चौराहे** के पास से **समय करीब 11.20 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. रामबच्चन उर्फ बिरजूलाल पुत्र स्व बुधई आँधीपुर मैरवा थाना फूलपुर जनपद आजमढ़ उम्र करीब 59 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 383/2025 धारा 61(1)/124(1) *BNS* थाना फूलपुर जनपद-आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर जनपद-आजमगढ़।

02. का0 इरशाद अंसारी थाना फूलपुर जनपद-आजमगढ़।

03. का0 अऱविन्द यादव थाना फूलपुर जनपद-आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-निजामाबाद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ ने हत्या की घटना में वांछित/फरार 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 5000 हजार रूपये का नगद पुरस्कार किया घोषित

➡दिनांक- 28.06.2025 को वादी बुद्धू वनवासी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त रिंकू पुत्र रामवृक्ष निवासी फिरदूपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की दूसरी पुत्री अथवा अपनी साली की हत्या कर दी गयी है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त रिंकु उपरोक्त जो अभी तक फरार चल रहा है।

➡ आज दिनांक- 06.08.2025 को श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा *अभियुक्त रिंकू पुत्र रामवृक्ष निवासी फिरदूपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त पर 05 हजार रूपये का नकद पुरस्कार घोषित* किया गया ।